

सेवामें,

श्रीमान् सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) महोदय,
गुडामालानी, जिला बाडमेर।



प्रार्थी

:- गेनाराम वल्द श्री डूंगराराम, उम्र 40 वर्ष,
जाति जाट, निवासी गादेवी, ग्रामपंचायत गादेवी,
तहसील गुडामालानी, जिला बाडमेर।

:- बनाम :-

विप्रार्थीगण :-

1. श्रीमती खुशबूदेवी पत्नी श्री ठाकराराम, उम्र 30 वर्ष,
कौम जाट, साकिन चंपाबेरी, तहसील सेडवा,
जिला बाडमेर (राज०)।
2. जरिये राज्य सरकार तहसीलदार एवं उपपंजीयक गुडामालानी।

*Copy
Report to Records P
Presented to SO, District
level.
Date 14/6/12*

आवेदन अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

महोदयजी,

प्रार्थी का निवेदन निम्न प्रकार है :-

1. कि प्रार्थी ने एक वाद अर्न्तगत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का श्रीमानजी के न्यायालय हाजा में पेश किया है जिसमें मुझ प्रार्थी को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है।
2. कि वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि मौका कब्जा अनुसार चली आ रही है जो कि तहसील गुडामालानी पटवार मण्डल बांटा के मौजा ढीमडी खेत खसरा संख्या 19/4 रकबा 3-08 बीघा, किस्म बा0दो0, का आया हुआ है जिसमें वादी का संयुक्त 1/2 हिस्सा की संयुक्त खातेदारी दर्ज है। जिसमें लट्ठा ट्रेस में तरमीम नहीं है खेत संयुक्त है। कि

Adv. B. S. Chondhary